जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स सम्पत लाल डागा, एम.एल. नम्बर 16/04, क्षेत्रफल 118.99 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 75000 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 499, 277, 278, 260, 261, निकट ग्राम चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में स्थित है में फायर क्ले, रेड एवं येलो ऑकर के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में दिनांक 06.10.2025 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 03.09.2025 को समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स सम्पत लाल डागा** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स एन एस एन्वायरोटेक लेबोरेट्री एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा. लि."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स एन एस एन्वायरोटेक लेबोरेट्री एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा. लि."** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना, खसरा नम्बर 499, 277, 278, 260, 261, निकट ग्राम चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में फायर क्ले, रेड एवं येलो ऑकर के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **एम.एल. नम्बर 16/04,** कुल खनन क्षेत्रफल **118.99** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **75000 टी.पी.ए. (रोम)** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया कि खनन पट्टा धारक द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायत में सहयोग दिया जाता रहा है। खनन पट्टा धारक द्वारा पूर्व में भी गाँव में पौधारोपण, विद्यालयों में शिक्षा में सहयोग, शौचालयों का निर्माण, खेलकूद प्रतियोगिता में सहयोग तथा मन्दिर की चारदीवारी का निर्माण आदि अनेक सार्वजनिक कार्य करवाये गये है। साथ ही श्री ओमप्रकाश यह भी बताया गया कि खनन पट्टा धारक द्वारा गाँव के विकास में सदैव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया है।

तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया एवं यह भी कहा गया कि ग्रामवासी क्षेत्र में पहले से संचालित हो रही खनन इकाईयों के विरूद्व भी अपनी शिकायत/आपत्ति दर्ज करवा सकते है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि पूर्व में आयोजित की गई जनसुनवाईयों में प्राप्त आक्षेपों का सम्बन्धित विभागों के माध्यम से उचित निस्तारण करवाया गया है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा इस जनसुनवाई में दर्ज करवाये गये आक्षेपों/आपत्तियों पर विधिवत कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया।

श्री राजेश चूरा, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माईन ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों/ग्रामवासियों एवं खनन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि ग्रामवासियों एवं खनन इकाईयों के प्रतिनिधियों का चोली-दामन का साथ है। श्री राजेश चूरा द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी में बताये गये कार्यों के अतिरिक्त भी यदि गाँव के विकास हेतु अन्य कोई आवश्यकता होती है तो एसोसिएशन द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। श्री राजेश चूरा द्वारा यह भी बताया गया कि खनन कार्य की वजह से ग्रामवासियों को तकलीफ न हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। श्री राजेश चूरा द्वारा गाँव में सामाजिक विकास हेतु सहयोग दिये जाने का भी आश्वासन दिया गया।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों से अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति दर्ज करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया। ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स सम्पत लाल डागा, एम.एल. नम्बर 16/04, क्षेत्रफल 118.99 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 75000 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 499, 277, 278, 260, 261, निकट ग्राम चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में स्थित है में फायर क्ले, रेड एवं येलो ऑकर के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 06.10.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–06.10.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kr. Nayak	SDO, Kolayat	[signature]
2.	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB Bikaner	[signature]
3.	सरपंच प्रतिनिधि	ओमप्रकाश	[signature]
4.	राजेश चूरा	चेयरमैन, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माइन्स ओनर्स एसोसिएशन	[signature]
5.	नेनूराम मेघवाल	गोयलरी	नेनूराम
6.	प्रेमचन्द मेघवाल	गोयलरी	प्रेमचन्द
7.	अशोक	चानी	अशोक
8.	डूंगरसिंह	गोयलरी	डूंगरसिंह
9.	आसुराम	गोयलरी	आसुराम
10.	शिवसिंह	गोयलरी	शिवसिंह
11.	मदनलाल	गोयलरी	मदनलाल
12.	अनिल पंवार	गोयलरी	[signature]
13.	खेमाराम पवार	गोलरी	खेमाराम
14.	बालुसिंह	गोलरी	बालुसिंह
15.	कोजाराम	कोलड़ी	कोजाराम
16.	अमर	कोलड़ी	अमर
17.	लीछमणराम	गोलरी	लीछमणराम

18.	सवाई	कोटड़ी	सवाई
19.	लक्ष्मण	कोटड़ी	लक्ष्मण
20.	नरसिंगराम	कोटड़ी	नरसिंगराम
21.	खिमरताराम	कोटड़ी	गोरखाराम
22.	मदनलाल	स्वाड़ी	मदनलाल
23.	सम्पत राम	कोटड़ी	सम्पतराम
24.	प्रकाश	कोटड़ी	प्रकाश
25.	सुरजाराम	गोमलसरी	सुरजाराम
26.	सरूप	कोटड़ी	सरूप
27.	हरिसिंह	गोमलसरी	हरिसिंह
28.	पाबूसिंह	चानी	पाबूसिंह
29.	भंवर लाल	चानी	भंवर लाल
30.	रेवन्तराम	कोटड़ी	रेवन्तराम
31.	पुरखाराम	कोटड़ी	[illegible]
32.	भगवानराम	कोटड़ी	भगवानराम
33.	[illegible]	गजनेर	[illegible]
34.	ओमसिंह	गोमलसरी	B.S.
35.	राजकरण	कोलायत	[illegible]
36.	दलीपसिंह	[illegible] कोलायत	[illegible] 8094510918
37.	Sandeep Chaud-	Bikaner BDMOA	[illegible]
38.	[illegible]	[illegible] Bikaner	[illegible]
39.	Ankit Chandra.	Bikaner BDMOA.	[illegible]
40.	Rohit [illegible]	BKN (Mins Owner)	[illegible]

41.	KAPIL Sharma	Jaipur	[signature]
42.	Ronit Pandey	[illegible] અમદાવાદ	[signature]
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			